न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार मल्हौत्रा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2026(रा.गु.नि.) **(GCMS 2026/9)**	**17.03.2026**	**22.04.2026**

अनवान

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मुकेश धाकड़ पिता रोडूलाल धाकड़ जाति धाकड़ निवासी लाडपुरा थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

गैर–सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल लाडपुरा थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का हैं। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही हैं। यह व्यक्ति जुआ अधिनियम जैसे अवैध कृत्य कर अवांछनीय समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता त्रस्त है एवं इसके भय के कारण जन साधारण प्रायः इसके विरूद्ध गवाही देने अथवा शिकायत करने से कतराता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया गया। प्रकरण में गैरसायल को तलब किये जाने पर हाजिर आया एवं गैर–सायल ने इस्तगासे में वर्णित आरोपों को मौखिक रूप से स्वीकार कर आज ही प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया जिस पर उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ–सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 03 प्रकरण दर्ज हुए हैं :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्र.सं. 089/2021 धारा 13 आर.पी.जी.ओ.
2. प्र.सं. 127/2023 धारा 13 आर.पी.जी.ओ.
3. प्र.सं. 088/2024 धारा 13 आर.पी.जी.ओ.

गैरसायल को उक्त तीनो ही प्रकरणों में सजा होकर अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त इस्तगासे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्ड़ा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

हाजिर गैरसायल ने मौखिक रूप से इस्तगासे में वर्णित आरोपों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित सभी प्रकरण पुराने होकर उनका निस्तारण हो चुका है वर्तमान में गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन–यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरूद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा में न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरूद्ध सन् 2021 में 01 प्रकरण, सन् 2023 में 01 प्रकरण व सन् 2024 में 01 प्रकरण में गैरसायल को सजा होकर दण्डित किया गया है। इस प्रकार गैरसायल जिले एवं उसके किसी भाग में धारा(2) के खण्ड(ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल मुकेश धाकड़ पिता रोडूलाल धाकड़ जाति धाकड़ निवासी लाडपुरा थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्ड़ा घोषित किया जाता है एवं 20 दिवस के लिए जिला चितौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 11.05.2026 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर कोटा जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना गुमानपुरा जिला कोटा में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी गुमानपुरा जिला कोटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के यहां दर्ज कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र गुमानपुरा जिला कोटा में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नही रखेगा।

निर्णय की प्रमाणित प्रति तत्काल गैर–सायल को निःशुल्क दिलवाई जावें। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़/कोटा, थानाधिकारी पुलिस थाना रावतभाटा व थानाधिकारी पुलिस थाना गुमानपुरा जिला कोटा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **22.04.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(**विनोद कुमार मल्हौत्रा**)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
रावतभाटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official